झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 07 वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता मो० अख्तर अंसारी एवं अन्य, ग्रा०पं०- मण्डारीडीह, प्र०- बेंगाबाद, जिला- गिरिडीह।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, गिरिडीह।

वाद प्रांरभ की तिथि
26/02/2024.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–07 / 2024	

अपीलकर्ता मो0 अख्तर अंसारी एवं अन्य, ग्राम पंचायत–भण्डारीडीह, प्रखण्ड–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है।

अपीलकर्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री लखन लाल, अनु0 सं0–16 / 85 के विरूद्ध माह अगस्त एवं सितम्बर 2023 का राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। अपीलकर्तागण का आरोप है कि इसकी शिकायत उनके द्वारा आयोग के व्हाटसएप्प के माध्यम से की गई थी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक–WA/624/2023 दिनांक–11.01.2023 द्वारा DGRO, गिरिडीह से 30 दिनों के अन्दर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था परन्तु इसपर कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने के कारण माह जनवरी 2024 का राशन भी लाभुकों को नहीं दिया जा रहा है। यह भी कि डीलर द्वारा जनवरी 2024 में चना दाल वितरण हेतु कई लाभुकों को गुमराह कर दो बार अंगूठा लगवा लिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा माह अगस्त 2023, सितम्बर 2023 एवं जनवरी 2024 का राशन दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.03.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।